सचिवालय ग्रन्थालय SECRETARIAT LIBRARY

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 1987/अग्रहायण 10, 1909
No. 602] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 1987/AGRAHAYANA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

(कंपनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1987

1987 का आदेश संख्या – 3

का. आ. 1031(अ).—कंपनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 के नियम 2(ङ), 3 और 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ङ की उपधारा (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में कंपनी विधि बोर्ड के पूर्व जारी आदेशों के अधिक्रमण में कंपनी विधि बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित न्याय पीठों को इसके नीचे यथा विनिर्दिष्ट अपनी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग और निर्वहन के प्रयोजन हेतु गठित करता है :—

1. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2क के तहत उत्पन्न और इससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में याचिकाओं पर श्री वी. के. धर, अध्यक्ष और नई दिल्ली में बैठने वाले निम्नलिखित सदस्यों में से कोई दो या अधिक सदस्यों को गठित न्यायपीठ द्वारा विचार, निर्णय और निपटान किया जायेगा :—

श्री अशोक चन्द्र, सदस्य

श्री आर. एन. बंसल, सदस्य

श्री एस. कुमार, सदस्य

श्री वी. के. मजोत्रा, सदस्य

श्री सी. आर. सुन्दरराजन, सदस्य

श्रीमती सरस्वती अकनन, सदस्य

श्री बी. पी. गुप्त, सदस्य

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17, 18 और 19 के तहत उत्पन्न और संबंधित सभी मामलों के संबंध में और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में (1956 का 42) की धारा 22क के तहत उत्पन्न सभी मामलों के संबंध में क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिण तथा उत्तरी क्षेत्रों में पंजीकृत कंपनियों के संबंध में नीचे निर्दिष्ट बम्बई, कलकत्ता,

मद्रास और नई दिल्ली में स्थित बोर्ड के
न्याय पीठ द्वारा विचार, निर्णय और 1

पश्चिमी क्षेत्र न्यायपीठ, बम्बई

श्री एस. कुमार, सदस्य (1) में विनि

पूर्वी क्षेत्र न्यायपीठ, कलकत्ता

श्रीमती सरस्वती अच्छूतन, सदस्य (1) ां

दक्षिणी क्षेत्र न्यायपीठ, मद्रास

श्रीमती सरस्वती अच्छूतन, सदस्य (1) ां

उत्तरी क्षेत्र न्यायपीठ, नई दिल्ली

श्री आर. एन. बंसल, सदस्य, (1) में

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की
सहृत उत्पन्न मामलों के संबंध में आवे
तथा अन्तवार्तीय मामलों सहित अन्य स.
1956 की धारा 17, 18, 19 के अं
में निम्नलिखित सदस्य द्वारा एकल स

पश्चिमी क्षेत्र न्यायपीठ, बम्बई

श्री एस. कुमार, सदस्य।

पूर्वी क्षेत्र न्यायपीठ, कलकत्ता

श्रीमती सरस्वती अच्छूतन, सदस्य

दक्षिणी क्षेत्र न्यायपीठ, मद्रास

श्रीमती सरस्वती अच्छूतन, सदस्य

उत्तरी क्षेत्र न्यायपीठ, नई दिल्ल

श्री आर. एन. बंसल, सदस्य

4. न्यायपीठ अपने विवेक से भ
पर अपनी बैठकें कर सकती है। यह आ
माना जायेगा।

[
वा. एस

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को लागू होगी।

[संख्या एस-70012/6/87-एस.एस.-II]
ए०के० भट्टाराई, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1987

S. O. 1032 (E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Central Government hereby specifies 15 per cent per annum as the rate of compound interest, recoverable by the Collector for the time-being, alongwith the amount of gratuity and payable to the person entitled thereto.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. S-70012|6|87-SS-II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987

MINISTRY C

(Department of

(Company

New Delhi, the 1

Order No

S.O. 1031(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4B) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with Rules 2(e), 3 and 4 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in supersession of the Company Law Board's orders earlier issued in this behalf, the Company Law Board, with the previous approval of the Central Government, hereby constitutes the following Benches for the purpose of exercising and discharging its powers and functions as specfied herein below:—

1. Petitions in respect of all matters relating to and arising out of section 2A of the Monopolies and Restrictive Trade

Shri R. N. Bansal, Member.

4. The Bench may, at its discretion hold its sittings at any other place in the Territory of India.

5. This Order shall come into force with effect from the date of this Order.

[F. No. 3/7/87-CL. V]
V. S. WAHI, Secy.
Company Law Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987